संख्या-27/2015/ 1214 सी0डी0 /46-3-15-1000(30)/2015

प्रेषक,

राम मोहन सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/
बीज उत्पादन अधिकारी,
(संलग्नक में इंगित जनपदों के अनुसार)

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 15 जून , 2015

विषयः- गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) में अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0/ आयोजनागत) के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि रु0-220 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त (50 प्रतिशत्) की धनराशि रु0-110 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) एस0सी0एस0पी0 कार्यक्रमों के निमित्त चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु **अनुदान संख्या-83 (**एस0सी0एस0पी0/**आयोजनागत)** में प्राविधानित धनराशि रू0 2,20,00,000 (रू0 दो करोड़ बीस लाख मात्र) के सापेक्ष **प्रथम किश्त (50 प्रतिशत्)** के रूप में **रू0 1,10,00,000 (रू0 एक करोड़ दस लाख मात्र)** को **संलग्नक-1** में, वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना पर प्रशासकीय अनुमोदन सहित, **संलग्नक-2** के विवरण के अनुसार, जनपदवार/ कार्यक्रमवार निर्धारित किये गये फांट/लक्ष्य के अनुरूप व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि जनपद विशेष में उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में परिव्यय का प्रावधान / आवंटन किया गया है।

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यय/उपयोग सामान्य तथा अन्य वर्ग के लाभार्थियों के लिये नही किया जायेगा।

2- जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत धनराशि से अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को भी योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाय। इससे इतर व्यय अनियममितता होगी, जिसका उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी का होगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-2043 सी0डी0/46-3-12-1000(38)/2012, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाईड-लाईन्स) के अनुसार व्यय करायी जायेगी। उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपदों से उभर कर आये परिव्यय की सीमा तक व्यय की जायेगी।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि जिला गन्ना अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित गन्ना विकास परिषदों को उपलब्ध करायी जायेगी तथा संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों को धनराशि का वितरण सम्बन्धित गन्ना विकास परिषदों द्वारा जिला गन्ना अधिकारी के अनुमोदन से किया जायेगा। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2016) से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

6- आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।

7- गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 एवं सम्बन्धित अधिकारी, गन्ना विकास विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाय।

8- योजना में निहित राज/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, इलाहाबाद तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, इलाहाबाद से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

9- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायगी तथा आहरित धनराशि बैक/पी0एल0ए0/पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

10- स्वीकृत की जा रही विभिन्न योजनाओं/मदों की उक्त धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया जायेगा तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के **अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0/आयोजनागत)** के अधीन लेखा शीर्ष **"2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-04-गन्ना विकास की योजना (जिला योजना)-27-सब्सिडी"** के नामे डाला जायेगा।

.....3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 तथा बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण के शासनादेश संख्या-07/26-ब0प्र0-2015, दिनांक 27 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

संख्या-27/2015/ 1214(1) सी0डी0 /46-3-15-1000(30)/2015, **तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
3- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
7- संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
8- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
9- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
10- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
11- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2,
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,
13- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग ।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-27/2015/ 1214 सी0डी0 /46-3-15-1000(30)/2015 दिनांक 15 जून, 2015 का संलग्नक-1

वर्ष 2014-15 के लिए जिला योजना की सघन गन्ना विकास योजना हेतु अनुदान संख्या-83 (एस0सी0पी0) हेतु निर्धारित भैतिक लक्ष्य, लाभार्थियों की संख्या एवं देय अनुदान की धनराशि सहित अनुमोदित कार्ययोजना।

क्र0 सं0	कार्यक्रम	इकाई		लाभार्थियों की संख्या (अनुमानित)	देय अनुदान की धनराशि (लाख रू0में)
1	पौधशाला स्थापन				
	क-आधार पौधशाला	लाख कु0	0.267	534	13.355
	ख-प्राथमिक पौधशाला	लाख कु0	1.07	2140	36.775
	बीज/भूमि उपचार	लाख हे0	0.150	30000	75.037
	पेड़ी प्रबन्ध	लाख हे0	0.150	30000	22.545
	बीज यातायात				
	क-अभिजनक बीज यातायात	लाख कु0	0.011	44	0.161
	ख-आधार बीज यातायात	लाख कु0	0.214	428	1.50
	जैव उर्वरक एवं वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग	लाख हे0	0.134	26800	80.627
	योगः-				**220.00**

(रुपया दो करोड़ बीस लाख मात्र)

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-27/2015/ 1214 सी0डी0 /46-3-15-1000(30)/2015 दिनांक 15 जून, 2015 का संलग्नक-1

गन्ना विकास की योजना(जिला योजना) में अनुदान संख्या–83 (एस0सी0एस0पी0/आयोजनागत) के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यक्रमवार/जनपदवार प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत(प्रथम किश्त) के रुप में स्वीकृत धनराशि।

अनुदान संख्या–83 (एस0सी0एस0पी0/आयोजनागत) **(धनराशि रु० में)**

क्र०सं०	नाम जनपद	आधार बीज वितरण कार्यक्रम	प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण	अभिजनक बीज यातायात	आधार बीज यातायात	मृदा एवं बीज उपचार कार्यक्रम	पेडी प्रबन्धन	बायोफर्टिलाईजर/ वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सहारनुपर	28375	56900	350	3200	159450	47900	171315	467490
2	मुजफ्फरनगर	38165	76500	450	4250	214450	64400	230415	628630
3	शामली	15785	31650	190	1800	88675	26650	95280	260030
	योग मण्डल	82325	165050	990	9250	462575	138950	497010	1356150
4	मेरठ	32345	64850	385	3600	181700	54600	195270	532750
5	बागपत	21925	43950	255	2450	123200	37025	132365	361170
6	गाजियाबाद	5360	10750	65	600	30100	9050	32360	88285
7	बुलन्दशहर	16155	32400	195	1800	90775	27250	97535	266110
8	हापुड़	7645	15325	90	900	42950	12900	46145	125955
	योग मण्डल	83430	167275	990	9350	468725	140825	503675	1374270
9	मुरादाबाद	16800	33700	200	1900	94400	28350	101440	276790

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10	रामपुर	8500	17050	100	950	47800	14350	51330	140080
11	सम्भल	10755	21550	130	1200	60425	18150	64940	177150
12	अमरोहा	19615	39325	235	2200	110200	33125	118410	323110
13	बिजनौर	62670	125650	750	7040	352125	105800	378345	1032380
	योग मण्डल	118340	237275	1415	13290	664950	199775	714465	1949510
14	बरेली	24820	49750	295	2785	139450	41900	149850	408850
15	बदायूं	6500	13050	80	730	36525	10975	39240	107100
16	पीलीभीत	24200	48500	290	2715	135975	40850	146110	398640
17	शाहजहांपुर	19055	38200	225	2140	107050	32175	115030	313875
18	कासगंज	1770	3550	25	200	9950	3000	10695	29190
19	अलीगढ	4240	8500	50	475	23850	7150	25600	69865
	योग मण्डल	80585	161550	965	9045	452800	136050	486525	1327520
20	लखीमपुर खीरी	75200	150775	900	8500	422525	126950	454005	1238855
21	सीतापुर	41245	82700	490	4600	231750	69625	249005	679415
22	रायबरेली	800	1600	25	100	4475	1350	4810	13160
23	फरूर्खाबाद	4720	9450	50	500	26525	7975	28500	77720
24	हरदोई	12405	24850	150	1400	69675	20925	74880	204285
25	कानपुर	2175	4375	25	250	12250	3675	13140	35890
	योग मण्डल	136545	273750	1640	15350	767200	230500	824340	2249325

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

26	फैजाबाद	10375	20800	125	1150	58300	17500	62640	170890
27	सुल्तानपुर	3010	6025	35	350	16900	5075	18160	49555
28	बाराबंकी	2370	4750	30	250	13300	4000	14310	39010
29	जौनपुर	850	1700	25	100	4750	1425	5120	13970
30	गाजीपुर	1050	2125	25	100	5925	1775	6340	17340
31	वाराणसी	730	1450	25	100	4100	1225	4405	12035
32	अम्बेडकरनगर	5775	11600	70	650	32450	9750	34865	95160
	योग मण्डल	24160	48450	335	2700	135725	40750	145840	397960
33	गोण्डा	23330	46775	275	2600	131100	39400	140850	384330
34	बलरामपुर	27700	55525	325	3150	155625	46750	167220	456295
35	बहराईच	23185	46500	275	2600	130275	39150	139970	381955
	योग मण्डल	74215	148800	875	8350	417000	125300	448040	1222580
36	गोरखपुर	1535	3075	25	200	8625	2600	9275	25335
37	बस्ती	21755	43625	260	2400	122250	36725	131355	358370
38	महराजगंज	5930	11900	70	650	33325	10000	35800	97675
39	सिद्धार्थनगर	810	1625	25	100	4525	1375	4880	13340
	योग मण्डल	30030	60225	380	3350	168725	50700	181310	494720
40	देवरिया	4280	8575	50	480	24050	7225	25835	70495
41	कुशीनगर	25250	50600	300	2835	141875	42650	152460	415970

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

42	मऊ	3440	6900	40	400	19325	5800	20770	56675
43	बलिया	1235	2450	25	150	6900	2100	7450	20310
44	आजमगढ	3915	7850	45	450	22000	6625	23630	64515
योग मण्डल		38120	76375	460	4315	214150	64400	230145	627965
सम्पूर्ण योग		667750	1338750	8050	75000	3751850	1127250	4031350	11000000

(रू० एक करोड दस लाख मात्र)

नोटः– जनपद शामली, हापुड, सम्भल तथा अम्बेडकरनगर को आवंटित धनराशि क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद तथा फैजाबाद द्वारा आहरित कर इन जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।